ISSN: 0973-0583

महिला सशक्तिकरण : एक विकासात्मक प्रक्रिया

विनीता

शोधार्थी, शिक्षा संकाय, साईं नाथ विश्वविद्यालय, राँची

डॉ0 रश्मि शुक्ला

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, साईं नाथ विश्वविद्यालय, राँची

सारांश

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। इस दृष्टि से देखें तो नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास तभी संभव है, जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए। उन्हें पुरुषों के साथ-साथ विकास की सहभागी माना जाए। महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय का सबसे चर्चित विकासात्मक कार्य है। इसके माध्यम से न केवल समाज में व्याप्त कुरीतियों का अन्त हो रहा है, बल्कि महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास तीव्र गति से हो रहा है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने विभिन्न प्रकार की योजनाएँ विकसित की है। इसी के साथ उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण भी किया है। महिलाओं के साथ तीव्र गति से बढ़ते अपराध को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर उनको संरक्षण प्रदान करने का कार्य सरकार ने किया है। यद्यपि सरकार ने महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर उच्च करने हेतु शिक्षा को सर्वोपरि वरीयता प्रदान की है, परन्तु एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी शिक्षा से वंचित रह रहा है। शिक्षा के अभाव में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जानकारी न हो पाने के कारण वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करती है। महिला सशक्तिकरण वास्तव में महिलाओं की योग्यता को निखारकर उन्हें एक उपयोगी संसाधन के रूप में विकसित करना है। लिंग-भेद जैसी समस्या को समाप्त करके प्रत्येक प्रकार की सेवा में महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा वरीयता प्रदान करके महिलाओं का सर्वांगीण विकास किया जाना संभव है। प्रस्तुत शोध पत्र में गाँधीजी द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किये गये प्रयासों को बताया गया है।

प्रस्तावना

सशक्तिकरण एक विकासात्मक प्रक्रिया है निरन्तर चलने वाली। निर्बल के सबल बनने की प्रक्रिया। एक पूर्ण सशक्त व्यक्ति वह है जो अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र हो, सामाजिक संदर्भों में जिस पर विवाह, संतानोत्पत्ति तथा व्यवसाय आदि से संबंधित विषयों पर घरेलू अथवा सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार का दवाब न हो। इस प्रकार स्त्रियों के संदर्भ में सशक्तिकरण की अवधारणा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारी को पुरुष के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसे अपने जीवन की गरिमा को सुरक्षित रखने और सम्मानित जीवन जीने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ तक कि शिक्षा और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में भी नारी को अपनी प्रतिभा दिखाने और मुखरित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। महाभारत काल के बाद नारी की इस स्थिति में गिरावट आयी। उससे शिक्षा का मौलिक अधिकार छीन लिया गया। धीरे-धीरे नारी की स्थिति दयनीय एवं चिंताजनक होती गयी। वर्तमान संदर्भों में देखें तो समय के साथ-साथ महिलाओं की परिस्थितियों में व्यापक बदलाव आ रहा है। समय करवट ले रहा है। दमन, दलन और उत्पीड़न से मुक्त होकर नारी जागरूक हो रही है। आज नारी विकास की ओर अग्रसर है। वह हर क्षेत्र में अपनी एक अनोखी पहचान बना रही है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। यह आधुनिक युग की नारी का स्वरूप है।

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं के सर्वांगीण विकास से है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर को उच्च बनाने की प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने नई-नई नीतियां तथा कार्यक्रम विकसित किये हैं। इसी के साथ न्यायपालिका भी महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान कर सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। वास्तव में महिला सशक्तिकरण हेतु तैयार की गयी नीति सराहनीय है, परन्तु धरातल पर अभी भी महिलाओं के विकास हेतु उनको पूर्ण रूप से अमलीय जामा नहीं पहनाया जा सका है। लिंग-भेद, बलात्कार, यौन-उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, अपहरण, दहेज-हत्या, महिला तश्करी तथा छेड़-छाड़ इत्यादि ऐसी समस्याएँ हैं, जिन्होंने समाज में एक विकराल रूप धारण कर रखा है। अपनी निजी स्वतन्त्रता और स्वयं के निर्णय लेने के लिये महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। परिवार और समाज की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए अपने विचार, अधिकार, स्वतन्त्र तथा निर्णय लेते हुए अपने आपको परिपक्व बनाना महिला सशक्तिकरण का प्रमुख लक्ष्य है। समाज में सभी क्षेत्रों में पुरुषों व महिलाओं को बराबरी पर लाना होगा। देश, समाज और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिये महिला सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। महिलाओं को स्वच्छ और उपर्युक्त पर्यावरण की जरूरत है, जिससे कि वह हर क्षेत्र में स्वयं का फैसला ले सके। विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिये भारतीय सरकार के द्वारा कई योजनाओं को निरूपित किया गया है। भारत देश की आधी जनसंख्या महिलाओं की है, इसलिए देश को पूरी तरह से शक्तिशाली बनाने के लिये महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। उनके उचित वृद्धि और विकास के हर क्षेत्र में स्वतन्त्र होने के उनके अधिकार को समझाना महिलाओं को अधिकार देना है।

भारत में महिला के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास स्वतंत्रता के उपरांत ही किए गए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु का कहना था ''लैंगिक असमानता चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए उसे दूर करना आवश्यक है।'' नेहरू जी का मानना था कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

निशांत मीनाक्षी ने अपने लेख विकास बनाम सशक्तिकरण में बताया है-''महिला सशक्तिकरण अर्थात् महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं को वे सारे उपकरण उपलब्ध करवाना जिनकी सहायता से आधी दुनिया उन्नति कर सकती है, आगे बढ़ सकती है।'' महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ा रोड़ा, महिलाओं में शिक्षा और जागरूकता की कमी ही है। यदि महिलाओं को शिक्षित बना दिया जाए तो वे अपने सामाजिक व राजनैतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएँगी और फिर ऐसी जागरूक महिलाओं को दबाना, किसी के लिए भी सम्भव नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में सशक्त होने की स्थिति को सशक्त बनाने की कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया गया है। सशक्त का अर्थ- सक्षम करने के लिए, शक्ति देने के लिए। शक्ति का विचार सशक्तिकरण की जड़ में है।

अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल महिला सशक्तीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित करती हैं, जिससे दुर्बल एवं उपेक्षित लोगों के समूहों की क्षमता बढ़े। जिससे महिलाएँ अपने आपको निम्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में डालने वाले मौजूदा शक्ति संबंधों को बदल कर अपने पक्ष में कर सकें। नारी सशक्तिकरण से तात्पर्य नारी को आत्मनिर्भर बनाना है। नारी को समाज में समानता प्रदान करना है।

डॉ. दिग्विजय सिंह के अनुसार महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। इस प्रकार महिला सशक्तीकरण का अर्थ है- उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था और तौर-तरीकों को चुनौती में समान अवसर, राजनैतिक व आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन का अधिकार आदि।

डॉ. अरूण कुमार सिंह के अनुसार महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना ताकि वह सहजता से अपने जीवन-यापन की व्यवस्था कर सकें।

लीना मेंहदेले के अनुसार:''सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर है।'' इनमें प्रमुख है-

1. निर्भयता, जिसके लिए समाज में कानून और सुरक्षा का होना।
2. रोजाना के नीरस, उबाऊ और कमर तोड़ कामों से मुक्ति।
3. आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं उत्पादन क्षमता।
4. निर्णय का अधिकार।
5. सत्ता एवं सम्पत्ति में पुरुषों के साथ बराबरी का हक।
6. ऐसी शिक्षा जो महिला को उपरोक्त स्थितियों के लिए तैयार कर सके।

सशक्तिकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बेहतर मौके मिल जाते हैं। इसका मतलब केवल संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण नहीं है बल्कि इसका आत्मविश्वास में वृद्धि और पुरुषों के साथ बराबरी के आधार पर निर्णय करने की क्षमता से भी है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि पुरुष समाज स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूक बनें।

8 मार्च को सम्पूर्ण विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोई भी देश तरक्की के शिखर पर तब तक नहीं पहुँच सकता, जब तक उसकी महिलाएँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने महिला दिवस पर कहा था कि-देश की तरक्की के लिए पहले हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। एक बार जब महिला अपना कदम उठा लेती है, तो परिवार आगे बढता है। भारत के संविधान में लिये गये समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से सम्पूर्ण भारत में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। भारतीय समाज सुधारकों आचार्य बिनोवा भावे, ईश्वरचन्द विद्या सागर, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले एवं महात्मा गाँधी आदि ने महिला उत्थान के लिये अपनी आवाज उठाई और कड़ा संघर्ष किया। भारत में विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिये ईश्वरचन्द विद्या सागर ने अपने लगातार प्रयास से विधवा पुर्नविवाह अधिनियम 1856 की शुरुआत करवाई। महिला सशक्तिकरण के सपने को सच करने के लिये लड़कियों के महत्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की जरूरत है। आज पश्चिमी संस्कृति के बहाव में भारतीय नारी अपनी अस्मिता को खोती जा रही है, जो हमारे देश में एक घातक तत्व के रूप में साबित हो रहा है। अत: भारतीय प्राचीन संस्कृति की अवधारणाओं में नारीत्व का परिवेश आज की नारियों को समझना होगा तभी उनका अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व का पैमाना सफल साबित होगा।

निष्कर्ष:

महिला समाज की धुरी है, अगर धुरी टूट गई तो समाज भी टूट जायेगा। इतिहास गवाह है कि जिन समाजों ने महिलाओ को गुलाम बनाया वे खुद गुलाम बन गये, जिन समाजों ने महिलाओं को प्रगति का मौका दिया उन्हें सभ्यता के शिखर पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सका। यद्यपि महिलाएँ तेजी से शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है, तथापि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अशिक्षा, भ्रष्टाचार, शोषण, पराधीनता, राजनीतिक सोच का अभाव आदि ऐसी प्रमुख बाधाएँ हैं। जो शैक्षिक क्षेत्र में आगे बढ़ने में रूकावट लाती है। महिलाओं में शैक्षिक जागरूकता की आवश्यकता है। शैक्षिक जागरूकता से मेरा तात्पर्य उनका शिक्षित और संस्कारित होना आवश्यक है।

अत: भारतीय परिवार में नारी का सर्वप्रथम दायित्व पत्नीत्व और मातृत्व के साथ शैक्षिक कार्यकलाप का समन्वय होना अति आवश्यक है। एक सफल माँ और पत्नी ही समाज और देश को सफल नेतृत्व दे सकती है।

इस प्रकार महिलाएँ समाज का अनिवार्य अंग है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र के साथ-साथ राजनीति के क्षेत्र में उनकी अहम भूमिका है। जैसे-जैसे शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता आ रही है। शिक्षा के प्रचार-प्रसार और बदलते सामाजिक परिवेश में महिलाएँ आगे आ रही हैं और केन्द्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय शासन में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। इसलिए महिलाओं को सशक्त और सुदृढ़ बनाने पर ही समाज सुदृढ़ होगा। महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिये उनका शिक्षित होना आवश्यक है ताकि अपने अधिकारों को समझ कर समाज एवं राष्ट्र का विकास कर सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

1. अग्रवाल जे0 सी0: स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विकास अर्थ बुक डिपो, 302 नाई बाल करोल बाग, नई दिल्ली।
2. आचार्य नरेन्द्र देव - बौद्ध धर्म दर्शन।
3. उपाध्याय, गंगा प्रसाद - अद्वैतवाद
4. उपाध्याय, बलदेव - भारतीय दर्शन
5. गुप्ता, लक्ष्मीनारायण - शिक्षा दर्शन
6. चौबे, एस0 पी0 - भारत और पश्चिम के श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री, तुलनात्मक शिक्षा, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
7. चौबे हीराला, बेसिक शिक्षा, जन कल्याण प्रकाशन, कलकत्ता।
8. टैगोर, रवीन्द्रनाथ की शिक्षा।
9. दीवानचन्द्र - पश्चिमी दर्शन
10. दीक्षित, जगदीशचन्द्र - आचार्य नरेन्द्र देव
11. दूबे, रमाकान्त, विश्व के कुछ महान शिक्षा शास्त्री।
12. नागर, डॉ० पुरूषोत्तम, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन।
13. पाण्डेय, रामसकल-शिक्षा दर्शन, विश्व के श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री।
14. बाला, बाजपेयी शुक्ला-शिक्षा के दार्शनिक तथा समाज शास्त्रीय आधार ।
15. गिल आत्मानंद - भारतीय शिक्षा के प्रवर्तक।
16. राधाकृष्णन, भारतीय दर्शन
17. लाल, बसन्त कुमार, समकालीन भारतीय दर्शन, मोतीलाल बनारसी दास, जवाहर नगर, दिल्ली, 1995
18. वर्मा, रामपाल सिंह, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 2002
19. वर्मा बैजनाथ, प्रसाद, विश्व के महान शिक्षा शास्त्री, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना।
20. वीर अर्जुन, स्वतंत्रता दिवस अंक, 1970
21. शर्मा, विद्यासागर, उपनिषदों की शिक्षा प्रणाली।
22. शर्मा, डॉ0 उर्मिला-समकालीन भारतीय राजनैतिक चिन्तन में मानवतावाद।
23. शर्मा, ओ0 पी0, शिक्षा के दार्शनिक आधार, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा-2005-06
24. शर्मा, डी0 एल0, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आर0 लाल बुल डिपो, मेरठ, 2008
25. डॉ० सी0 एस0 शुक्ला-शिक्षा एवं समाज, आलोक प्रकाशन, मेरठ, 2008
26. डॉ० रमा शुक्ला एवं डॉ0 मधुरिमा सिंह, शिक्षा के दार्शनिक आधार।
27. डॉ० जाकिर हुसैन, बुनियादी शिक्षा रिपोर्ट, 1953
28. डॉ० शंकर दयाल शर्मा, हमारे पथ-प्रदर्शक।
29. स्वामी विवेकानन्द, व्यावहारिक जीवन में वेदान्त।
30. सिन्हा, जे0 एन0 : दर्शन की रूपरेखा।

❖❖❖